भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1751

जिसका उत्तर दिनांक 08.12.2021 को दिया जाना है

परमाणु अपशिष्ट का निपटान

1751. श्री डी. एम. कथीर आनन्द

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु अपशिष्ट के निपटान और पुनर्चक्रण कार्यक्रम के सुरक्षित तरीके तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो परमाणु अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) लोगों के जीवन और प्रकृति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, हां । भारत नाभिकीय ईंधन के लिए सम्पूर्ण ईंधन चक्र का अनुसरण करता है । परमाणु बिजलीघर से प्राप्त भुक्तशेष ईंधन का पुनर्संसाधन किया जाता है । यह उपयोगी रेडियो सक्रिय आइसोटोप के पृथक्करण में सहायता करता है और सम्पूर्ण नाभिकीय अपशिष्ट मात्रा को भी कम करता है । डीएई ने सुरक्षित और संरक्षित तरीके से रेडियोसक्रिय अपशिष्ट के अल्प/दीर्घकालीन भंडारण के लिए योजना विकसित की है । अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियां नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादित की जाती हैं ।

(ग) कल्पाक्कम और कुडनकुलम सहित सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की डिजाइन ऐसी है कि जन सामान्य को विकिरण की मात्रा एईआरबी द्वारा निर्धारित सीमा के पर्याप्त अंदर है । स्थल के चारों ओर हवा, पानी, वनस्पति, फसल, समुद्री भोजन इत्यादि जैसे पर्यावरणीय मैट्रिक्स के मॉनीटरन से प्राप्त नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थल की सीमा में विकिरण की मात्रा निर्धारित सीमा और प्राकृतिक पृष्ठभूमि का नगण्य अंश है । इस प्रकार, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के दौरान उत्पादित अपशिष्ट का पर्यावरण और जनता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है । विद्युत संयंत्रों के आस-पास पर्यावरण (भूमि, जल, हवा) का नियमित मॉनीटरन किया जा रहा है ।

* * * * *